भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3825
जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है ।
27 अग्रहायण, 1946 (शक)

साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न

3825.श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर एलुरु जिले में साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न के दर्ज किए गए मामलों, दाखिल किए गए आरोप-पत्र वाले मामले और इनमें दोष सिद्धियों की राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न के शिकार, विशेषकर महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और हाशिए पर पड़े समुदायों का राज्यवार और जिलावार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के एलू के संदर्भ में पीड़ितो/शिकायतकर्ताओं की संख्या कितनी है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और हाशिए पर पड़े समुदायों से संबंधित लोगों का साइबर स्टॉकिंग/उत्पीड़न को कम करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं और राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने देश में साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई गतिविधि/अभियान चलाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के एलूरु जिले का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ):राष्ट्रीयअपराधरिकॉर्डब्यूरो (एनसीआरबी) अपनेप्रकाशन "भारतमेंअपराध" मेंअपराधोंपरसांख्यिकीयडेटासंकलितऔरप्रकाशितकरताहै। नवीनतमप्रकाशितरिपोर्टवर्ष 2022 कीहै। एनसीआरबीद्वाराप्रकाशितआंकड़ोंकेअनुसार2018-2022 केदौरानसाइबरस्टॉकिंग/बुलिंगकेतहतदर्जमामलोंकाविवरण**अनुबंध-I** और**अनुबंध-II** मेंहै ।

सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वतंत्र, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा उत्तरदायी इंटरनेट सुनिश्चित करना है। 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। एलईए साइबर स्टॉकिंग और साइबर उत्पीड़न के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करते हैं।

भारतीयन्यायसंहिता, 2023 (बीएनएस) मेंपहलीबारदोषीपाएजानेपरतीनसालतककीकैदऔरजुर्मानातथादूसरीबारदोषीपाएजानेपरपांचसालतककीकैदऔरजुर्मानेकाप्रावधानहै। बीएनएसकेतहतसजाकेअलावा, सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 मेंमहिलाओंकेखिलाफसाइबरअपराधोंकेलिएभीसजाकाप्रावधानहै।

अधिनियमकीधारा 66ड़, 67 और 67कमेंशारीरिकगोपनीयताकेउल्लंघनऔरइलेक्ट्रॉनिकरूपमेंअश्लील/यौन-स्पष्टसामग्रीकेप्रकाशनयाप्रसारणकेलिएसजाऔरजुर्मानेकाप्रावधानहै।

सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए एलईएसको एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की स्थापना की है। सरकार ने 30.08.2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया हैताकि आम जनता महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए स्वचालित रूप से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है।

पोर्टलऔरटोल-
फ्रीहेल्पलाइननंबरकेबारेमेंजागरूकताफैलानेकेलिएसरकारनेकईकदमउठाएहैंजिनमेंअन्यबातोंकेसाथ-
साथएसएमएस, आई4सी सोशलमीडियाअकाउंट, यानीट्विटरहैंडल (@साइबरदोस्त), फेसबुक (साइबरदोस्तआई4सी), इंस्टाग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), टेलीग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), रेडियोअभियानकेजरिएसंदेशोंकाप्रसार, कईमीडियाकेमाध्यमसेप्रचारकेलिएमाईगोवकोशामिलकरना, राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंकेसहयोगसेसाइबरसुरक्षाऔरसुरक्षाजागरूकतासप्ताहकाआयोजनकरनाआदिशामिलहैं। राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंसेबड़ेपैमानेपरजागरूकतापैदाकरनेकेलिएटोल-
फ्रीहेल्पलाइननंबरऔरपोर्टलकाप्रचारकरनेकाभीअनुरोधकियागयाहै।

गृहमंत्रालयनेमहिलाओंऔरबच्चोंकेखिलाफसाइबरअपराधरोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजनाकेतहतसभीराज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंकोसाइबरफोरेंसिक-सह-प्रशिक्षणप्रयोगशालाओंकीस्थापना, जूनियरसाइबरसलाहकारोंकीभर्तीऔरकानूनप्रवर्तनएजेंसियों (एलईए), सरकारीअभियोजकोंऔरन्यायिकअधिकारियोंकीक्षमतानिर्माणकेलिएवित्तीयसहायताप्रदानकीहै। 28 राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंमेंसाइबरफोरेंसिक-सह-प्रशिक्षणप्रयोगशालाएँचालूकीगईहैं।

साइबरअपराधोंसेव्यापकऔरसमन्विततरीकेसेनिपटनेकेलिएतंत्रकोमजबूतकरनेकेलिएकेंद्रसरकारनेसाइबरअपराधों केबारेमेंजागरूकताफैलाने, अलर्ट/सलाहजारीकरने, कानूनप्रवर्तनकर्मियों/अभियोजकों/न्यायिकअधिकारियोंकीक्षमतानिर्माण/प्रशिक्षण, साइबरफोरेंसिकसुविधाओंमेंसुधारआदिकेलिएप्रभावीकदमउठाएहैं।

वित्तीयधोखाधड़ीकीतत्कालरिपोर्टिंगऔरधोखेबाजोंद्वाराधनकीहेराफेरीकोरोकनेकेलिए 'नागरिकवित्तीयसाइबरधोखाधड़ीरिपोर्टिंगऔरप्रबंधनप्रणाली' शुरूकीगईहै।

ऑनलाइनसाइबरशिकायतदर्जकरनेमेंसहायताप्राप्तकरनेकेलिएएकटोल-फ्रीहेल्पलाइननंबर '1930' चालूकियागयाहै।

****

अनुबंध- I

वर्ष 2018-2019 के दौरान साइबर स्टॉकिंग/बुलिंग(आईपीसी की धारा 354घ और आईटी अधिनियम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्र दाखिल मामले (सीसीएस), दोषी मामले (सीओएन), पीड़ित पुरुष (एमवीआईसी), पीड़ित महिला (एफवीआईसी), पीड़ितट्रांसजेंडर(टीआरवीआईसी)

क्रमांक	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	2018							2019						
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	एमवीआईसी	एफवीआईसी	टीआरवीआईसी	टीवीआईसी	सीएस	सीसीएस	सीओएन	एमवीआईसी	एफवीआईसी	टीआरवीआईसी	टीवीआईसी
1	आंध्रप्रदेश	89	48	1	6	87	0	93	58	40	0	3	58	0	61
2	अरुणाचलप्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	18	2	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ	13	13	1	0	14	0	14	3	3	2	0	3	0	3
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	11	10	0	0	11	0	11	28	26	0	0	28	0	28
8	हरियाणा	5	5	0	0	5	0	5	65	27	2	0	65	0	65
9	हिमाचलप्रदेश	1	0	0	0	1	0	1	7	0	0	0	7	0	7
10	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	4	0	0	0	4	0	4	4	1	0	0	4	0	4
12	केरल	8	2	0	0	8	0	8	4	5	0	0	4	0	4
13	मध्यप्रदेश	36	32	0	1	36	0	37	28	26	3	0	28	0	28
14	महाराष्ट्र	394	210	1	1	401	0	402	409	251	1	1	429	0	430
15	मणिपुर	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	2
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	7	2	0	0	7	0	7	2	1	0	0	2	0	2
20	पंजाब	16	4	0	0	16	0	16	13	4	0	0	13	0	13
21	राजस्थान	30	14	0	0	30	0	30	8	8	1	0	9	0	9
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	1	0	0	0	1	0	1	6	1	0	0	6	0	6
24	तेलंगाना	17	9	0	0	18	0	18	37	21	0	0	37	0	37
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	24	13	0	0	24	0	24	65	35	2	0	65	0	65

27	उत्तराखंड	9	7	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिमबंगाल	18	7	0	0	18	0	18	12	4	0	0	12	0	12
	कुलराज्य	**706**	**378**	**3**	**8**	**713**	**0**	**721**	**751**	**454**	**11**	**4**	**772**	**0**	**776**
29	अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
30	चंडीगढ़	5	3	1	0	5	0	5	1	1	1	0	1	0	1
31	डीऔरएनहवेलीऔरदमनऔरदीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	28	9	0	0	28	0	28	17	8	0	0	17	0	17
33	जम्मूऔरकश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
34	लद्दाख														
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुलकेन्द्रशासितप्रदेश	**33**	**12**	**1**	**0**	**33**	**0**	**33**	**20**	**9**	**1**	**0**	**20**	**0**	**20**
	कुल (अखिलभारत)	**739**	**390**	**4**	**8**	**746**	**0**	**754**	**771**	**463**	**12**	**4**	**792**	**0**	**796**

2020-2021 के दौरान साइबर स्टॉकिंग/बुलिंग (आईपीसी की धारा 354घ आर/डब्ल्यू आईटी अधिनियम) के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार पंजीकृत मामले (सीआर), चार्जशीट किए गए मामले (सीसीएस), दोषी ठहराए गए मामले (सीओएन), पीड़ित पुरुष (एमवीआईसी), पीड़ित महिला (एफवीआईसी), पीड़ित ट्रांसजेंडर (टीआरवीआईसी)

क्रमांक	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	2020							2021						
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	एमवीआईसी	एफवीआईसी	टीआरवीआईसी	टीवीआईसी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	एमवीआईसी	एफवीआईसी	टीआरवीआईसी	टीवीआईसी
1	आंध्रप्रदेश	145	51	0	0	145	0	145	105	62	0	1	116	0	117
2	अरुणाचलप्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
3	असम	1	0	0	0	1	0	1	31	6	0	0	31	0	31
4	बिहार	11	4	0	0	11	0	11	3	1	0	0	4	0	4
5	छत्तीसगढ	4	4	0	2	2	0	4	9	8	0	0	9	0	9
6	गोवा	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	2	0	2
7	गुजरात	26	21	0	0	26	0	26	30	25	0	0	30	0	30
8	हरियाणा	19	8	0	0	19	0	19	13	15	0	0	13	0	13
9	हिमाचलप्रदेश	7	1	0	0	7	0	7	9	18	0	0	9	0	9
10	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	18	8	0	0	18	0	18

11	कर्नाटक	1	1	0	0	1	0	1	5	0	0	0	5	0	5
12	केरल	14	3	0	0	14	0	14	19	23	1	0	19	0	19
13	मध्यप्रदेश	28	23	5	0	29	0	29	53	55	5	0	53	0	53
14	महाराष्ट्र	398	203	1	28	425	0	453	487	327	2	1	502	0	503
15	मणिपुर	3	0	0	0	3	0	3	21	0	0	0	21	0	21
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	पंजाब	14	9	0	0	14	0	14	26	13	0	0	26	0	26
21	राजस्थान	12	11	0	0	12	0	12	56	30	0	0	56	0	56
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	7	3	0	0	7	0	7	11	1	0	0	11	0	11
24	तेलंगाना	100	38	0	0	100	0	100	200	41	3	1	201	0	202
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	49	41	2	0	76	0	76	17	36	4	0	17	0	17
27	उत्तराखंड	1	1	0	0	1	0	1	3	3	0	3	0	0	3
28	पश्चिमबंगाल	17	8	0	0	17	0	17	31	10	0	0	31	0	31
	कुलराज्य	**858**	**430**	**8**	**30**	**911**	**0**	**941**	**1154**	**688**	**15**	**6**	**1179**	**0**	**1185**
29	अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	1
31	डीएंडएनहवेलीऔरदमनऔरदीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	12	5	0	0	12	0	12	15	10	0	0	15	0	15
33	जम्मूऔरकश्मीर	0	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	6	0	6
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुलकेन्द्रशासितप्रदेश	**14**	**8**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**	**22**	**14**	**0**	**0**	**22**	**0**	**22**
	कुल (अखिल भारत)	**872**	**438**	**8**	**30**	**925**	**0**	**955**	**1176**	**702**	**15**	**6**	**1201**	**0**	**1207**

वर्ष 2022 के दौरान साइबर स्टॉकिंग/बुलिंग (आईपीसी की धारा 354घ और आईटी अधिनियम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्र दाखिल मामले (सीसीएस), दोषी मामले (सीओएन), पीड़ित पुरुष (एमवीआईसी), पीड़ित महिला (एफवीआईसी), पीड़ित ट्रांसजेंडर (टीआरवीआईसी)

क्रमांक	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	2022						
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	एमवीआईसी	एफवीआईसी	टीआरवीआईसी	टीवीआईसी
1	आंध्रप्रदेश	136	54	0	0	137	0	137
2	अरुणाचलप्रदेश	0	1	0	0	0	0	0
3	असम	3	1	0	0	3	0	3
4	बिहार	18	13	0	0	18	0	18
5	छत्तीसगढ	7	7	0	0	7	0	7
6	गोवा	1	1	0	0	1	0	1
7	गुजरात	48	39	0	0	50	0	50
8	हरियाणा	28	16	0	0	28	0	28
9	हिमाचलप्रदेश	12	12	0	0	12	0	12
10	झारखंड	2	1	0	0	2	0	2
11	कर्नाटक	0	1	0	0	0	0	0
12	केरल	49	40	0	0	50	0	50
13	मध्यप्रदेश	82	74	4	0	82	0	82
14	महाराष्ट्र	581	313	1	0	587	0	587
15	मणिपुर	4	0	0	0	5	0	5
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0
20	पंजाब	26	8	0	0	26	0	26
21	राजस्थान	80	46	0	0	80	0	80
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	30	10	0	0	31	0	31
24	तेलंगाना	280	142	2	1	281	0	282
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तरप्रदेश	27	21	10	0	27	0	27
27	उत्तराखंड	17	8	0	0	17	0	17
28	पश्चिमबंगाल	11	16	0	0	11	0	11
	कुलराज्य	**1442**	**824**	**17**	**1**	**1455**	**0**	**1456**
29	अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	1	1	0	0	1	0	1
30	चंडीगढ़	2	0	0	0	2	0	2
31	डीएंडएनहवेलीऔरदमनऔरदीव	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	24	16	0	0	24	0	24
33	जम्मूऔरकश्मीर	2	0	0	0	2	0	2
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
कुलकेन्द्रशासितप्रदेश		**29**	**17**	**0**	**0**	**29**	**0**	**29**
कुल (अखिलभारत)		**1471**	**841**	**17**	**1**	**1484**	**0**	**1485**

अनुबंध- II

2018-2021 के दौरान आंध्र प्रदेश में साइबर स्टॉकिंग/बुलिंग (आईपीसी की धारा 354घ आर/डब्ल्यू आईटी अधिनियम) के तहत जिलेवार दर्ज मामले

क्रमांक	ज़िला	2018	2019	2020	2021
1	अनंतपुर	7	2	5	3
2	चित्तूर	0	1	11	3
3	कडप्पा	0	0	0	0
4	पूर्वीगोदावरी	1	1	8	1
5	गुंटकलरेलवे	0	0	0	0
6	गुंटूर	2	2	7	4
7	गुंटूरशहरी	2	8	8	8
8	कृष्ण*	6	4	15	14
9	कुरनूल	0	0	0	0
10	नेल्लोर	0	0	1	3
11	प्रकाशम	14	8	0	7
12	राजमुंदरी	0	1	8	5
13	श्रीकाकुलम	2	0	23	2
14	तिरुपतिशहरी	6	7	2	15
15	विजयवाड़ाशहर	24	7	17	14
16	विजयवाड़ारेलवे	0	0	0	0
17	विशाखाग्रामीण	0	4	0	2
18	विशाखापत्तनम	12	2	15	15
19	विजयनगरम	0	1	2	0
20	पश्चिमगोदावरी*	13	10	23	9
कुल		**89**	**58**	**145**	**105**

नोट *: उपरोक्तआंकड़ोंमेंएलुरुजिलाशामिलहैक्योंकिइसेवर्ष 2022 मेंपश्चिमगोदावरीऔरकृष्णाजिलोंकेकुछहिस्सोंसेअलगकियागयाहै ।

2022 केदौरानआंध्रप्रदेशमेंसाइबरस्टॉकिंग/बुलिंग(आईपीसीकीधारा 354घआईटीअधिनियमकेसाथ) केतहतदर्जजिलेवारमामले

क्रमांक	ज़िला	2022
1	अल्लूरीसीतारामराजू	0
2	अनकापल्ली	2
3	अनंतपुरमु	1
4	अन्नमय्या	0
5	बापतला	2
6	चित्तूर	1
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकरकोनासीमा	1
8	पूर्वीगोदावरी	4
9	**एलुरू#**	1
10	गुंटकलरेलवे	0
11	गुंटूर	13
12	काकीनाडा	2
13	कृष्ण	10
14	कुरनूल	1
15	नांदयाल	2
16	एनटीआर	25
17	पालनाडु	2
18	पार्वतीपुरममन्यम	0
19	प्रकाशम	14
20	श्रीपोट्टीश्रीरामुलुनेल्लोर	0
21	श्रीसत्यसाईं	5
22	श्रीकाकुलम	5
23	तिरुपति	3
24	विजयवाड़ारेलवे	0
25	विशाखापत्तनम	42
26	विजयनगरम	0
27	पश्चिमीगोदावरी	0
28	वाईएसआर	0
कुल		**136**

नोट #: एलुरूजिला

****